संख्या–3788 / 9–आ–3–97–38विविध / 97

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

2. **आवास आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 07 नवम्बर, 2000

विषय :तलपट मानचित्र के विकास अनुज्ञा–पत्र की वैधता के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में सरलीकरण के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–2531 / 9.आ.3.97.38विविध / 1997 दिनांक 15.07.1997 द्वारा निर्माण अनुज्ञा–पत्र की वैधता तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष की गई थी जबकि पर्वतीय क्षेत्र में निर्माण एवं विकास तथा भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न होने के कारण उपरोक्त व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। परन्तु शासनादेश संख्या–2800 / 9.आ.3.97.38विविध / 1997 दिनांक 14.10.1997 द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ उपरोक्त व्यवस्था पर्वतीय क्षेत्र में भी समान रूप से लागू की गई है।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि एकरूपता की दृष्टि से तलपट मानचित्र हेतु विकास अनुज्ञा–पत्र की वैधता भवन मानचित्र के अनुरूप ही रखी जानी चाहिए। विदित है कि शासनादेश संख्या–4716 / 9.आ.3.97.38 विविध / 1997 दिनांक 21.10.2000 द्वारा जारी आदर्श विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों हेतु बनाई गई है, के अन्तर्गत विकास अनुज्ञा–पत्र की वैधता पाँच वर्ष रखी गई है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सरलीकरण की प्रक्रिया मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र में समान रूप से लागू की जाय।

3. अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तलपट मानचित्र हेतु एक बार दी गई विकास अनुज्ञा पाँच वर्ष के लिए वैध होगी तथा प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि में वृद्धि प्राधिकरण / आवास एवं विकास परिषद द्वारा एक–एक वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम तीन बार निर्धारित शुल्क लेकर की जा सकती है। मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन तलपट मानचित्रों के विकास अनुज्ञा–पत्र की वैधता समाप्त हो गई है परन्तु पाँच वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, वे तलपट मानचित्र पाँच वर्ष पूर्ण होने तक स्वतः वैध होंगे।

4. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाये ताकि जनसामान्य को जानकारी हो सके।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या–3788(1)/9–आ–3–97.38 विविध/97तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 सहकारी आवास संघ लि0 लखनऊ।
6. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव।